

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भिनाय (अजमेर)
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी आर.ए.एस.)

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./99/2025 जी०सी०एम०एस० 2025/182

1. दूदा गुर्जर पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. धर्मीचन्द पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. प्रभू पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. रतन पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. रामकुंवार पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. रामदेव पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. रायमल पुत्र स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. लाली पुत्री स्व० पन्ना जाति गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. देवकरण पुत्र स्व० राजू गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
10. नाथू पुत्र स्व० भैरू गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
11. रामलाल पुत्र स्व० भैरू गुर्जर निवासी माताजी का खेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील-भिनाय जिला-अजमेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत बाबत पत्थरगढी


अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री शम्मी मोहम्मद, श्री राजूलाल जाट अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित।

दिनांक - 19.11.2025

- : निर्णय :-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का जरिये अधिवक्ता पेश किया जिसका संक्षेप में सार इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि राजस्व ग्राम माताजी का खेडा पटवार हल्का देवलियाकलां-बी भू०अ०नि० क्षेत्र देवलियाकलां तहसील भिनाय के खाता सं० 81 में दर्ज खसरा संख्या 559 रकबा 0.51, खसरा संख्या 560 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.75 खसरा नम्बर 570 रकबा 0.45 कुल किता 04 कुल रकबा 1.91. हैक्टर के रूप में अवस्थित है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा बाजौत कर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थी अपने हक अधिकारों की भूमि पर निरन्तर व निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण के ग्राम माताजी का खेडा (देवलियाकलां-बी) के खसरा संख्या 559, 560, 564, 570 की भूमि चारों तरफ कच्ची पक्की सीव माठ कायम चली आ रही है।



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सीवमाठ के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं तथा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। प्रार्थी को अपनी भूमि के उपयोग/उपभोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 01 को ग्राम माताजी का खेडा (देवलियाकलां-बी) के खसरा संख्या 559, 560, 564, 570 की भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम माताजी का खेडा (देवलियाकलां-बी) तहसील भिनाय की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 559, 560, 564, 570 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जरिये नोटिस/सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 राजपैरोकार के रूप में स्वयं उपस्थित हुये। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए हुए, जरिये प्रार्थना-पत्र प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर, प्रकरण में राजहित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने बाबत् निवेदन किया गया। साथ ही निवेदन किया गया कि, प्रार्थी द्वारा पड़ौसी खातेदारान के साथ सीमा विवाद का उल्लेख किया है परन्तु खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही सीमाज्ञान का मौका पर्चा संलग्न पत्रावली किया गया है। भू-राजस्व अधिनियम प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है। पक्षकार की तलबी हो चुकी है तथा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हो चुका है। इसलिए प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण हाजा को बहस हेतु नियत किया गया।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 1956 पर नियत तारीख पेशी पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाने तथा तहसीलदार भिनाय से पत्थरगढी किये जाने संबंधी अनुतोष चाहा है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काशत बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0 भू0 अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस जवाब अनुसार कथन दौहराये।

बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 559, 560, 564, 570 की पत्थरगढी बाबत निवेदन किया गया है। इसी प्रकार धारा 128 आरएलआर एक्ट के प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते हैं जिनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना आवश्यक होता है। प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा


उपसण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

काश्त होना बताया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी, पैरोकार सरकार द्वारा नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमावन्दी माताजी का खेडा (देवलियाकलां-बी) के खाता संख्या 81 संवत 2074-2077 (वर्ष 2019 में रथाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना अधीन धारा 128 मू0 रा0 अधि0 प्रकरण में वांछित अनुतोष यथा ग्राम माताजी का खेडा (देवलियाकलां-बी) तहसील भिनाय के खसरा संख्या 559, 560, 564, 570 की भूमि का पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सही एवं न्यायोचित समझते है।

- :: आदेश :: -

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 मू0 रा0 अधि0 स्वीकार किया जाकर ग्राम माताजी का खेडा(देवलियाकलां-बी) पटवार हल्का देवलियाकलां-बी मू.अ.नि.क्षेत्र देवलियाकलां तहसील भिनाय में स्थित खाता सं0 81 में दर्ज खसरा संख्या 559 रकबा 0.51, खसरा संख्या 560 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.75 खसरा नम्बर 570 रकबा 0.45 कुल किता 04 कुल रकबा 1.91 हैक्टर की भूमि की सीमाओं की पत्थरगढी नायब तहसीलदार देवलियाकलां द्वारा किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस बाबत नायब तहसीलदार देवलियाकलां को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ संबंधित मू.अ. निरीक्षक देवलियाकलां एवं संबंधित पटवारी हल्का देवलियाकलां-बी तहसील भिनाय की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। प्रार्थी पक्ष को आदेशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार देवलियाकलां को मौके पर पत्थरगढी करने हेतु आवश्यक साज-सामान उपलब्ध कराया जावे एवं साथ ही राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, (नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/- व संबंधित मू.अ. निरीक्षक को 700/- एवं संबंधित पटवारी हल्का को 500/-रुपये) अदा करे। नायब तहसीलदार देवलियाकलां प्रार्थी पक्ष द्वारा फीस अदा किये जाने पर सभी पडौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार भिनाय को पालनार्थ तहसीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू फुलहरा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
मिनाय, अजमेर
भिनाय (अजमेर)